रजिस्टर्ड नं0 ल0-33/एस0एम0 14/91.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 16 मार्च, 1991/25 फाल्गुन, 1912

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 15 मार्च, 1991

संख्या 1-18/91-वि0 स0—हिमाचल प्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम, 1973 के नियम 135 क अन्तर्गत "हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 1991 (1991 का विधेयक

संख्यांक 13)" जो आज दिनांक 15 मार्च, 1991 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुर:स्थापित हो गया है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र म प्रकाशित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

लक्ष्मण सिंह,
सचिव ।

1991 का विधेयक संख्यांक 13

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 1991

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 (1970 का 19) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक** ।

भारत गणराज्य के बयालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 1991 है ।

(2) इस अधिनियम की धारा 18 प्रथम अप्रैल, 1991 से प्रवृत्त होगी, और इस अधिनियम के शेष उपबन्ध ऐसी तारीख को प्रवृत्त होंगे जैसी राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकगी ।

धारा 3 का संशोधन ।

1970 का 19

2. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) में, —

(क) खण्ड (ञ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड (ञ) रखा जाएगा, अर्थात् :—

(ञ) "निदेशक" से इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किया गया निदेशक पंचायती राज अभिप्रेत है और सरकार द्वारा निदेशक के कृत्यों का पालन करने के लिए विशेष रूप से नियुक्त किया गया कोई अधिकारी इसके अन्तर्गत है ;

(ख) खण्ड (ध) में शब्दों, "या सहयोजित" का लोप किया जाएगा;

(ग) खण्ड (ट ट) के अन्त में आए शब्द "और" का लोप किया जाएगा; और

(घ) खण्ड (ठ ठ) के अन्त में आए चिन्ह (।) के स्थान पर ";" चिन्ह रखा जाएगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित खण्ड (ड ड) और (ढ ढ) जोड़े जाएंगे, अर्थात् :—

"(ड ड) "अनुसूचित जनजाति" का वही अर्थ होगा जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड (25) में इसका है ; और

(ढ ढ) "सचिव" से इस अधिनियम की धारा 15 के अधीन नियुक्त किया गया ग्राम पंचायत का, चाहे उसका नाम जो भी हो, सचिव अभिप्रेत है ।"

धारा 6 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (3) में, —

(क) विद्यमान परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा; अर्थात्:—

"परन्तु गणपूर्ति के अभाव में स्थगित बैठक के लिए, इसके सदस्यों की कुल संख्या का कम से कम दसवां भाग स्थगित बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित होगा; और "

(ख) इस प्रकार प्रतिस्थापित परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह और कि स्थगित बैठक में इसके सदस्यों की संख्या के कम से कम दसवें भाग के उपस्थित न होने की दशा में, उप-मण्डल अधिकारी विहित रीति में, कार्य सूची की मदों पर विनिश्चय करेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।"

धारा 9 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 9 में, —

(क) उप-धारा (1) में विद्यमान द्वितीय, तृतीय, और चौथे परन्तुक का लोप किया जाएगा और निम्नलिखित नए परन्तुक और स्पष्टीकरण जोड़े जाएंगे, अर्थात् :—

"परन्तु यह और कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रधान और उप-प्रधान के सिवाय, पंचों की कुल संख्या के पच्चीस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए आरक्षित किए जाएंगें जिनका निर्वाचन, विहित रीति से किया जाएगा :

परन्तु यह और कि जहां उनकी जन संख्या ग्राम सभा की कुल जनसंख्या के दस प्रतिशत से कम है, वहां अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए एक से अधिक स्थान आरक्षित नहीं किए जाएंगें :

परन्तु यह और कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रधान और उप-प्रधान के सिवाय, पंचों के स्थानों की कुल सख्या के, पच्चीस प्रतिशत स्थान, जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान भी हैं, विहित रीति से महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे :

परन्तु यह और कि यदि वहां,—

(क) अनुसूचित जाति की जनसंख्या नहीं है ; या

(ख) अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत का पंच निर्वाचित किया जाने के लिए पात्र नहीं है ;

तो अनुसूचित जाति के लिए कोई भी स्थान आरक्षित नहीं किए जाएंगें :

परन्तु यह और भी कि गैर-अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में जहां ग्राम सभा में अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या है, वहां, प्रधान और उप प्रधान के सिवाय, पंचों के स्थान अनुसूचित जन-जाति के ऐसे सदस्यों के लिए, अनुसूचित जाति के सदस्यों को उपबन्धित आरक्षण के भीतर, आरक्षित किए जाएंगे और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के बीच स्थानों का निर्धारण उस ग्राम सभा में उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाएगा ;

स्पष्टीकरण:–I. इस परन्तुक के प्रयोजन के लिए "गैर जन-जातीय क्षेत्र" से हिमाचल प्रदेश राज्य के जिला किन्नौर, लाहौल-स्पिति और जिला चम्बा के पांगी और भरमौर खण्डों में समाविष्ट क्षेत्रों के सिवाय, अन्य क्षेत्र अभिप्रेत है ;

स्पष्टीकरण–II इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए अनुसूचित जाति और महिला सदस्यों के लिए आरक्षित स्थानों का निर्धारण करने के लिए, स्थानों की प्रतिशतता की गणना एक के निकटतम गुणज तक, आधे से कम को छोड़ कर और आधे या उससे अधिक को एक गिन कर की जाएगी।"

(ख) उप-धारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा (3) प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(3) उस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला जिससे वह निर्वाचित हुआ है, पंचायत समिति का निर्वाचित प्रत्येक प्राथमिक सदस्य, उन ग्राम पंचायतों का सहयुक्त सदस्य होगा जिससे ऐसा निर्वाचन क्षेत्र गठित होता है और ऐसा सहयुक्त सदस्य ग्राम पंचायत या इसकी समितियों की किसी बैठक में मतदान करने का हकदार नहीं होगा किन्तु उसको इसमें बोलने और अन्यथा भाग लेने का अधिकार प्राप्त होगा;"

(ग) उप-धारा (4) के पश्चात निम्नलिखित उप-धारा (4–क) अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात :—

"(4–क) यदि एक व्यक्ति एक से अधिक स्थानों या पदों के लिए निर्वाचित किया जाता है तो वह अन्य सभी स्थानों या पदों से, स्वविवेकानुसार एक के सिवाय, विहित रीति से अपने हस्ताक्षर के अधीन लिखित रूप से उपायुक्त को संबोधित करके, त्याग पत्र देगा।";

(घ) उप-धारा (5) के खण्ड (ञ) में "बकाया" शब्द के पश्चात् किन्तु "का संदाय" शब्दों से पूर्व "अथवा सभा निधि या समिति निधि की बकाया" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगें।

धारा 10 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (2) के प्रथम परन्तुक में "किन्तु कुल मिलाकर दो वर्ष की कालावधि से अधिक नहीं" शब्दों का लोप किया जाएगा।

धारा 11 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 11 में, —

(क) शब्दों "रीति में" के पश्चात् किन्तु "निर्वाचित" शब्द से पूर्व "एक वर्ष के अन्दर" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगें ; और

(ख) अन्त में आए चिन्ह "." के स्थान पर ":" चिन्ह अंकित किया जाएगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यदि अनवसित अवधि एक वर्ष से कम हो, तो इस प्रकार होने वाली रिक्ति भरी नहीं जाएगी।"

धारा 56 का संशोधन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 56 में "किसी भी समय" शब्दों के स्थान पर "ग्राम पंचायत के अधिक्रमण की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर" शब्द रखे जाएंगे और शब्दों "कर सकेगी" के स्थान पर "करगी" शब्द रखा जाएगा।

धारा 61 का संशोधन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 61 में, —

(क) उप-धारा (1) में आए शब्दों "दे सकेगी" के स्थान पर "देगी" शब्द रखा जाएगा; और

(ख) उप-धारा (3) में आए शब्दों "कर सकेगी" के स्थान पर "करेगी" शब्द रखा जाएगा।

धारा 63 का प्रतिस्थापन ।

9. मूल अधिनियम की धारा 63 के स्थान पर निम्नलिखित धारा 63 रखी जाएगी, अर्थात् :—

"63 (1) पंचायत समिति का गठन निम्नलिखित सदस्यों से होगा :—

(क) ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा इसमें नीचे यथा उपबंधित विहित रीति में गुप्त मतदान और सीध मतदान द्वारा निर्वाचित किए जाने वाले प्राथमिक सदस्य :—

(i) दस सदस्यों की न्यूनतम संख्या के अधीन रहते हुए, समीपस्थ प्रत्येक दो ग्राम सभाओं में से, उसके सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित, एक सदस्य:

परन्तु ऐसे खण्ड में जहां ग्राम सभाओं की संख्या दो से विभाज्य नहीं है, वहां उस ग्राम सभा से जिसकी खण्ड में सबसे अधिक जनसंख्या है, इस तथ्य पर विचार किए बिना कि वह ग्राम सभा अन्य ग्राम सभा के समीपस्थ है या नहीं, एक सदस्य निर्वाचित किया जाएगा :

परन्तु यह और कि ऐसे खण्ड में जहां ग्राम सभाओं की संख्या बीस से कम है, वहां निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या का अवधारण, ग्राम सभा को विहित रीति से यूनिट के रूप में विभाजित किए बिना, जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा ;

(ii) अनुसूचित जाति और महिलाओं के लिए, प्रत्येक खण्ड में स्थानों का आरक्षण इस अधिनियम से उपावद्ध अनुसूची–iv में उपवर्णित रीति से किया जाएगा :

परन्तु गैर-अनुसूचित जन-जातीय क्षेत्रों में जहां किसी निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या है, वहां अनुसूचित जनजाति के ऐसे सदस्यों के लिए स्थानों का आरक्षण, अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए उपबंधित आरक्षण के भीतर किया जाएगा और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति क बीच स्थानों का अवधारण उनकी उन निर्वाचन क्षेत्र में जन सख्या के अनुपात में होगा :

परन्तु यह और कि सरकार प्रत्येक निर्वाचन में अनुसूचित जाति और महिलाओं के लिए स्थानों को विहित रीति से चक्रानुक्रमी कर सकेगी ;

स्पष्टीकरण I—: इस खण्ड के प्रयोजन के लिए पद "गैर-जन जातीय क्षेत्र " से हिमाचल प्रदेश राज्य के जिला किन्नौर, लाहौल स्पिति और जिला चम्बा के

पांगी और भरमौर खण्ड में समाविष्ट क्षेत्र को छोड़ कर, अन्य क्षेत्र अभिप्रेत है ;

(ख) **सहयुक्त सदस्य**--हिमाचल प्रदेश विधान सभा का उस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रत्येक निर्वाचित सदस्य, जिसका सम्पूर्ण खण्ड या उसका कोई भाग , उसका भाग है, सहयुक्त सदस्य होगा ;

(ग) **पदेन सदस्य**-- खण्ड में अधिकारिता रखने वाला उप-मण्डल अधिकारी, पदेन सदस्य होगा :

परन्तु सहयुक्त सदस्य या पदेन सदस्य, पंचायत समिति या इसकी समितियों की किसी बैठक की कार्यवाहियों में मतदान करने के लिए हकदार नहीं होगा किन्तु उसे इनमें बोलने और अन्यथा भाग लेने का अधिकार प्राप्त होगा।"

(2) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायत के प्राथमिक सदस्यों के निर्वाचन विहित रीति में साथ-साथ किए जाएंगे :

परन्तु एक व्यक्ति यदि ग्राम पंचायत क पंच, प्रधान और उप-प्रधान; और पंचायत समिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के एक से अधिक पदों या स्थानों के लिए निर्वाचित होता है, तो वह सभी पद या स्थान, स्वाविवेकानुसार एक के सिवाय, अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना आशय विहित प्राधिकारी को घोषित करते हुए, रिक्त करेगा।

10. मूल अधिनियम की धारा 64 के खण्ड (ठ) के अन्त में आए चिन्ह "(1)" के स्थान पर "; या" चिन्ह और शब्द रखा जाएगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड "ड" जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-- धारा 64 का संशोधन ।

"(ड) उसने ग्राम पंचायत या पंचायत समिति द्वारा अधिरोपित कर की बकाया या सभा निधि अथवा समिति निधि की बकाया का संदाय नहीं किया है।"

11. मूल अधिनियम की धारा 66 में, -- धारा 66 का संशोधन ।

(क) शब्द "प्राथमिक सदस्य" के पश्चात किन्तु शब्दों "की पदावधि" से पूर्व आए शब्दों "या सहयोजित सदस्य" का लोप किया जाएगा और "किया गया" शब्दों से पूर्व आए शब्द "सहयोजित" के स्थान पर "निर्वाचित" शब्द रखा जाएगा।

(ख) परन्तुक में आए "एक समय पर" शब्दों का और चिन्ह और शब्दों, "किन्तु दो वर्ष की कुल कालावधि से परे, नहीं" का लोप किया जाएगा ।

12. इसके शीर्षक सहित, मूल अधिनियम की धारा 67 का लोप किया जाएगा। धारा 67 का लोप ।

13. मूल अधिनियम की धारा 68 में, धारा 68 का संशोधन ।

(क) विद्यमान शीर्षक में "निर्वाचन आदि की अधिसूचना और राज्य निष्ठा की शपथ" शब्दों क स्थान पर "निष्ठा की शपथ या प्रतिज्ञान" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उप-धारा (1) का लोप किया जाएगा,

(ग) उप-धारा (4) में शब्द "जिसका" के पश्चात् और "निर्वाचन" शब्द से पूर्व, "सहयोजन या" शब्दों का लोप किया जाएगा ; और शब्दों "समिति के" पश्चात् और "अध्यक्ष" शब्द से पूर्व "सदस्य के रूप में सहयोजन या" शब्दों का लोप किया जाएगा; और

(घ) विद्यमान उप-धाराओं (2), (3) और (4) को क्रमश: उप-धाराएं (1), (2) और (3) के रूप में पुन: संख्यांकित किया जाएगा।

धारा 69 का संशोधन।

14. मूल अधिनियम की धारा 69 की उप-धारा (1) में "सहयोजित" शब्द के स्थान पर "प्राथमिक" शब्द रखा जाएगा।

धारा 70 का संशोधन।

15. मूल अधिनियम की धारा 70 की उप-धारा (1) में "से" शब्द के पश्चात और "भरा" शब्द से पूर्व "रिक्ति की तारीख से एक वर्ष के भीतर" शब्द अन्त:स्थापित किए जाएंगे।

धारा 73 का संशोधन।

16. मूल अधिनियम की धारा 73 की उप-धारा (1) में,—

(क) खण्ड (ख) में चिन्ह और शब्द "; या" के स्थान पर "। " रखा जाएगा; और

(ख) खण्ड (ग) का लोप किया जाएगा।

धारा 74 का प्रति-स्थापन।

17. मूल अधिनियम की धारा 74 के शीर्षक सहित, इसके स्थान पर धारा 74 रखी जाएगी, अर्थात् :—

"74. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन :—

(1) पंचायत समिति के प्राथमिक सदस्यों के निर्वाचिन के विहित रीति में परिणामों की उद्घोषणा के पश्चात, सम्बन्धित उपायुक्त, या उस द्वारा इस निमित्त नियुक्त किया गया कोई राजपत्रित अधिकारी, यथाशक्यशीघ्र, किन्तु ऐसी उद्घोषणा से एक सप्ताह के पश्चात् नहीं, अपनी अध्यक्षता के अधीन धारा 68 के अधीन शपथ या निष्ठा के प्रतिज्ञान के प्रयोजन के लिए सभी प्राथमिक सदस्यों की एक बैठक बुलाएगा।

(2) धारा 68 के अधीन शपथ या निष्ठा का प्रतिज्ञान देने या लेने के ठीक पश्चात् पंचयात समिति के प्राथमिक सदस्य, विहित रीति से, इसके सदस्यों में से किसी एक को पंचायत समिति का अध्यक्ष और अन्य सदस्य को उपाध्यक्ष निर्वाचित करेंगे।"

धारा 75 का प्रति-स्थापन।

18. मूल अधिनियम की धारा 75 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"75(1)—धारा 74 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट बैठक में निर्वाचित पंचायत समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पदावधि पांच वर्ष होगी :

परन्तु यदि सरकार द्वारा पंचायत समिति के प्राथमिक सदस्यों की पदावधि में धारा 66 में यथा उपबन्धित के अनुसार बढ़ोतरी की जाती है, तो सरकार द्वारा उसी अवधि के लिए, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पदावधि में बढ़ोतरी की जा सकेगी :

परन्तु यह और कि यदि सरकार, धारा 10 के अधीन, उनकी विहित पदावधि की समाप्ति से पूर्व ग्राम सभा के ग्राम चुनाव का आदेश देती है तो, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्राथमिक सदस्य भी पद पर बने नहीं रहेंगे :

परन्तु यह और कि पंचायत समिति की प्राथमिक सदस्यता समाप्त हो जाती है या यदि, विहित रीति से अविश्वास मत प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बुलाई गई बैठक में उपस्थित प्राथमिक सदस्यों के बहुमत और मतदान से पारित प्रस्ताव द्वारा, पंचायत समिति विनिश्चय करती है कि वह अपना पद रिक्त करेगा तो, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं रहेगा और ऐसी दशा में पंचायत समिति धारा 74 के अधीन यथा विहित रीति में, छः मास की अवधि के भीतर, यथास्थिति, नया अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचित करेगी :

परन्तु यह और कि ऐसी बैठक के लिए गणपूर्ति, प्राथमिक सदस्यों की कुल संख्या के दो तिहाई सदस्यों से होगी :

परन्तु यह और कि ऐसे पद पर निर्वाचन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर ऐसा अविश्वास मत प्रस्ताव नहीं रखा जाएगा और कोई भी पश्चात्वर्ती अविश्वास मत का प्रस्ताव, पूर्व अविश्वास मत के प्रस्ताव से दो वर्ष की अवधि के मध्यान्तर में नहीं रखा जाएगा :

परन्तु यह और कि इस प्रकार इस धारा के अधीन या धारा 76 अथवा धारा 77 के अधीन निर्वाचित व्यक्ति, उस व्यक्ति की अवसित अवधि के लिए पद पर रहेगा, जिसके स्थान पर, यथास्थिति, उसे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया है :

परन्तु यह और कि पद छोड़ने वाला अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जब तक सरकार अन्यथा निदेश न दे, तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक उसके उत्तरवर्ती का निर्वाचन अधिसूचित नहीं किया जाता है ।

(2) पद छोड़ने वाला अध्यक्ष या उपाध्यक्ष यदि वह अन्यथा सुअर्हित है, निर्वाचन के लिए पुनः पात्र होगा ।"

19. मूल अधिनियम की धारा 85 के स्थान पर शीर्षक सहित निम्नलिखित धारा 85 रखी जाएगी, अर्थात् :— धारा 85 का प्रतिस्थापन ।

"85. विचार-विमर्श में भाग लेने की निर्योग्यता:—अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अथवा पंचायत समिति का सदस्य, पंचायत समिति की बैठक में विचार के लिए आए किसी प्रश्न के विचार-विमर्श में भाग नहीं लेगा, यदि प्रश्न, जनता के साधारण प्रयोग के अलावा, ऐसा है जिसमें उसका प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई आर्थिक हित है ।"

20. मूल अधिनियम की धारा 186 में आए शब्द "उपायुक्त" के स्थान पर "विहित प्राधिकारी" शब्द रखे जाएंगे और "और उस पर उसका आदेश अन्तिम होगा" शब्दों का लोप किया जाएगा । धारा 186 का संशोधन ।

धारा 187 क का अन्त: स्थापन ।

21. मूल अधिनियम की धारा 187 के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा 187-क अन्त:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"187-क अपील—इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अध्याय-XIII के अधीन विहित प्राधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, विहित समय के भीतर और विहित रीति में ऐसे उच्च प्राधिकारी को अपील कर सकेगा, जो विहित किया जाए और ऐसे उच्च प्राधिकारी का ऐसी अपील पर विनिश्चय अन्तिम होगा और किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं होगा ।

अनुसूचि-IV का परिवर्धन ।

22. मूल अधिनियम से संलग्न विद्यमान अनुसूची-III के पश्चात् निम्नलिखित नई अनुसूची-IV जोड़ी जाएगी, अर्थात्:—

"अनुसूची—I

(धारा 63 देखें)

प्राथमिक सदस्यों के स्थानों का वितरण

क्रम संख्या	कुल स्थानों सहित खण्डों के वर्ग	आरक्षित स्थान				अनारक्षित स्थान
		अनुसूचित जाति, महिलाओं सहित		अन्य वर्गों की महिलाओं के लिए	कुल आरक्षित स्थान	
		पुरुष	महिलाएं			
1	2	3	4	5	6	7
1.	10	2	—	2	4	6
2.	11 से 15	2	1	2	5	6 से 10
3.	16 से 20	3	1	3	7	9 से 13
4.	21 से 25	3	2	3	8	13 से 17
5.	26 और उससे अधिक	4	2	4	10	16 और उससे अधिक

टिप्पणी:—पद "स्थान", एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र/पंचायत समिति में निर्वाचन द्वारा प्राथमिक सदस्यों से भर जान वाल निर्वाचन क्षेत्रों का द्योतक है और पद "वार्ड" का पर्यायवाची है । "

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाएं 1952 से विद्यमान हैं। इन संस्थाओं में समय-समय पर विभिन्न परिवर्तन लाए गए ताकि वे इन संस्थाओं के मौलिक उद्देश्यों को अर्थात् ग्रामीण क्षेत्रों के सहयोगात्मक विकास के लक्ष्य को स्वायतशासी ईकाई के रूप में, प्राप्त कर सकें। यद्यपि इन संस्थाओं ने कुछ क्षेत्रों में कई सुस्पष्ट कार्य किए हैं, किन्तु विविध कारणों से वे न तो जीवनक्षम और प्रतिसंवेदी लोक निकायों की स्थिति और गरिमा प्राप्त करने में समर्थ हुए हैं न ही वे एक लोकतांत्रिक और प्रतिनिधित्व सम्पन्न और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास अभिकर्ता संस्थाओं के मूल उद्देश्यों को पूरा कर सकी हैं। इन संस्थाओं में समय-समय पर किए गए परिवर्तन बहुत सीमित थे और परिवर्तित परिस्थितियों में, पर्याप्त परिवर्तन किए जाने अपेक्षित हैं ताकि वे स्वायतशासी ईकाई के रूप में प्रभावी रूप से कार्य कर सकें।

पूर्व अनुभव के आधार पर और कमियों को मध्यनजर रखते हुए, यह माना गया है कि इन संस्थाओं की संरचना, गठन और पदावधि में मौलिक परिवर्तन करने की आवश्यकता है ताकि उनको निश्चितता, निरन्तरता, सम्पूर्णता, प्रतिनिधिक स्वरूप और बल दिया जा सके जिससे वे उन शक्तियों और प्राधिकारों का उपयुक्त प्रयोग कर सके जो उनको दिए गए हैं। तदनुसार हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 (1970 का 19) में कुछ संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है ताकि अन्य बातों के साथ-साथ, सुनिश्चित विद्यमानता, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति का गठन, अनुसूचित जातियों के लिए 25 प्रतिशत स्थानों का आरक्षण और ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं के लिए पंचों के 25 प्रतिशत स्थानों का आरक्षण और 20-25 प्रतिशत तक स्थानों का पंचायत समिति के सदस्यों के निर्वाचन के लिए अनुसूचित जाति और महिलाओं के लिए आरक्षण, अनुसूचित जाति के साथ अनुसूचित जनजाति के लिए अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या वाले गैर-जनजातीय क्षेत्रों में स्थानों का आरक्षण, पंचायत समिति में प्रत्येक दो ग्राम पंचायतों के लिए एक सदस्य और उनका सीधा निर्वाचन, ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों दोनों के लिए 5 वर्ष की अवधि का नियत किया जाना, सीधे तौर पर निर्वाचित सदस्यों के मामले में रिक्तियों और अधिक्रान्त की दशा में एक वर्ष के अन्दर निर्वाचन कराना, और पंचायत समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के मामले में छः मास के अन्दर निर्वाचन करना, पंचायत समिति की अवधि के साथ-साथ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पदावधि का समाप्त होना, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के लिए गणपूर्ति में बढ़ौतरी, ग्राम सभा की स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति नियत करना, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष और पंचायत समिति के सदस्यों सहित पंचों का साथ-साथ निर्वाचन, ग्राम सभा और समिति निधि की बकाया का निरर्हता होना, निर्वाचन अर्जी के लिए अपील माध्यम के लिए, उपबन्ध किया जा सके।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

साधु राम,
प्रभारी मन्त्री।

शिमला :
.....15 मार्च, 1991

वित्तीय ज्ञापन

—शून्य—

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 3, 4, 9, 17, 18, 20 और 21 , रीति विहित करने, ग्राम सभा की दूसरी स्थगित बैठक बुलाने, अनुसूचित जातियों और महिलाओं क लिए पंचायतों में और पंचायत समिति में प्राथमिक सदस्यों के आरक्षित स्थानों के लिए निर्वाचन कराने, एक से अधिक स्थानों या पदों पर निर्वाचित होने की दशा में स्थानों और पदों की रिक्ति, 20 से कम ग्राम सभाओं वाले खण्ड के मामले में निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या विहित करने, प्राथमिक सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव परिणाम घोषित करने की रीति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव रखने के लिए बठक बुलाने की रीति और चुनाव अर्जियों क विरुद्ध अपीलें सुनने के लिए प्राधिकारी और रीति विहित करने के लिए, राज्य सरकार को नियम बनाने के लिए सशक्त करने का उपबन्ध करते हैं ।

शक्तियों का प्रस्तावित प्रत्यायोजन आवश्यक और सामान्य स्वरूप का है ।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 13 of 1991.

THE HIMACHAL PRADESH PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT) BILL, 1991

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1968 (*Act No.* 19 *of* 1970).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Forty-second Year of he Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Amendment) Act, 1991. Short title and commencement.

(2) Section 18 of this Act shall come into force on the 1st day of April, 1991, and the remaining provisions of this Act shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the official Gazette, appoint and different dates may be appointed for different provisions of this Act.

0. **2.** In section 3 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1968 (hereinafter referred to as the principal Act), in sub-section (1),— Amendment of Section 3.

(*a*) for clause (*j*), the following clause shall be substituted, namely:—

"(*j*) "Director" means the Director of Panchayati Raj appointed under this Act and includes any other officer specially appointed by the Government to perform the functions of the Director under this Act;";

(*b*) in clause(s), the sign and words ", or co-opted" shall be deleted;

(*c*) in clause (*kk*), the word "and" occurring at the end shall be deleted; and

(*d*) in clause (*ll*), for the sign "." occurring at the end, the sign ";" shall be sustituted and thereafter, the following clauses (*mm*) and (*nn*) shall be added, namely:—

"(*mm*) "scheduled tribe" shall have the same meaning as assigned to it in clause (25) of Article 366 of the Constitution of India; and

(*nn*) "Secretary" means the Secretary of a Gram Panchayats appointed under section 15 of this Act, by whatever name called.".

Amendment of Section 6.

3. In section 6 of the principal Act, in sub section (3),—

(*a*) for the existing proviso, the following shall be substituted, namely:—

"Provided that for a meeting adjourned for want of quorum, at-least one-tenth of the total number of its members shall be required for holding the adjourned meeting:"; and

(*b*) after the existing proviso so substituted, the following new proviso shall be added, namely:—

"Provided further that in case even in the adjourned meeting at least one-tenth of the total number of members are not present, the Sub-Divisional Officer shall take decision on the items of agenda in the prescribed manner and his decision shall be final.".

Amendment of Section 9.

4. In section 9 of the principal Act,—

(*a*) in sub-section (1), the existing second, third and fourth provisos shall be deleted and the following new provisos and Explanations shall be added, namely:—

"Provided further that twenty five per cent seats of the total number of Panches, other than Pradhan and Up-Pradhan, shall be reserved in every Gram Panchayat for members of the scheduled castes who shall be elected in the prescribed manner:

Provided further that more than one seat shall not be reserved for the members of the scheduled castes where their population is less than ten per cent of the total population in that Gram Sabha:

Provided further that in every Gram Panchayat, twenty five per cent of total number of seats of Panches, other than Pradhan and Up-Pradhan, shall be reserved for women, including the number of seats reserved for women belonging to the scheduled castes, in the prescribed manner:

Provided further that in case there is,—

(*a*) no scheduled castes population; or

(*b*) no eligible person belonging to scheduled castes to be elected as a panch of the Gram Panchayat;

no seats shall be reserved for the scheduled castes :

Provided further that in non-tribal areas where there is scheduled tribe population in a Gram Sabha, seats of Panches, other than Pradhan and Up-Pradhan, shall be reserved for such members of the scheduled tribes within the reservation provided for the members of the scheduled castes and the determination of seats to be reserved amongst the scheduled castes and scheduled tribes shall be in proportion to their population in that Gram Sabha;

Explanation I.—The expression "non-tribal area" for the purpose of this proviso shall mean the areas of the State of Himachal Pradesh other than the areas comprised in the districts of Kinnaur, Lahaul and Spiti and the blocks of Pangi and Bharmour of the Chamba district.

Explanation II.—For the purpose of this sub-section, the percentage of seats shall be calculated to the nearest multiple of one by ignoring less than one-half and counting one-half or more as one, for determining the reservation of seats for the members of the scheduled castes and women.".

(*b*) for sub-section (3), the following shall be substituted, namely:—

"(3) Every elected primary member of the Panchayat Samiti representing the constituency from which he has been elected shall be the associate-member of the Gram Panchayats which constitute such a constituency and such an associate-member shall not be entitled to vote at, but shall have the right to speak in and otherwise take part in the proceedings of any meeting of the Gram Panchayat or its Committees.";

(*c*) after sub-section (4), the following new sub-section (4-A) shall be inserted, namely:—

"(4-A) If a person is elected to more than one seat for office he shall resign from all other seats or offices except one of his choice by writing under his hand addressed to the Deputy Commissioner, in the prescribed manner.";

(*d*) in clause (*j*) of sub-section (5), the words "or had not paid the arrears of Sabha Fund or Samiti Fund" shall be inserted after the words "Panchayat Samiti" but before the sign";".".

Amendment of Section 10.

5. In section 10 of the principal Act, in the first proviso to sub-section (2), the sign and the words ",but not beyond a total period of two years" shall be deleted.

Amendment of Section 11.

6. In section 11 of the principal Act,—

(*a*) after the words "shall be elected" but before words "in such manner", the words "within one year" shall be inserted; and

(*b*) for the sign "." occurring at the end, the sign ":" shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely:—

"Provided that the vacancy thus occurring may not be filled up if the un-expired term is less than one year.".

Amendmen of Section 56.

7. In section 56 of the principal Act, for the words "may at any time", the words and signs "shall, within a period of one year from the date of supersession of the Gram Panchayat," shall be substituted.

Amendment of Section 61.

8. In section 61 of the principal Act, in sub-sections (1) and (3), for the word "may" occurring after the word "Government", the word "shall" shall be substituted.

Substitution of Section 63.

9. For section 63 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

"63. *Constitution of Panchayat Samitis.*– (1) The Panchayat Samiti shall consist of the following members:—

(*a*) primary members to be elected by secret ballot and by direct vote, in the manner prescribed, by the members of Gram Sabha as provided hereunder:—

(*i*) one member from every two contiguous Gram Sabhas, elected by their members from amongst themselves subject to minimum of ten members:

Provided that in a block in which the total number of Gram Sabhas is not divisible by two, one member shall be elected from the Gram Sabha having highest population in the block irrespective of the fact whether the Gram Sabha is contiguous with other Gram Sabha or not:

Provided further that in a block where number of Gram Sabhas is less than twenty, the number of members to be elected shall be determined on the basis of population without splitting the Gram Sabha as a unit in the prescribed manner;

(*ii*) seats shall be reserved for the scheduled caste and women in every block in the manner as laid down in the Schedule-IV annexed to this Act:

Provided that in non-tribal areas where there is schedule tribe population in a constituency, seats shall be reserved for such members of the scheduled tribes within the reservation provided for the members of the scheduled castes and the determination of seats to be reserved amongst the scheduled castes and the scheduled tribes shall be in proportion of their population in that constituency:

Provided further that Government may rotate the seats for the scheduled castes and women in every election in the manner prescribed;

Explanation I.—The expression "non-tribal area" for the purpose of this clause shall mean the areas of the State of Himachal Pradesh other than the areas comprised in the districts of Kinnaur, Lahaul and Spiti and the blocks of Pangi and Bharmour of the Chamba district;

(*b*) *Associate member*(*s*).—Every elected member of the Himachal Pradesh Legislative Assembly representing the Constituency of the which the Block as a whole or any part thereof forms part shall be associate member;

(*c*) *ex-officio member.*—The Sub-Divisional Officer having jurisdiction in the Block shall be *ex-officio* member:

Provided that an associate member or an *ex-officio* member shall not be entitled to vote at, but shall have the right to speak in and otherwise take part in the proceedings of any meeting of the Panchayat Samiti or its Committees.

(2) Notwithstanding anything contained in this Act, the election of primary members of Panchayat Samiti and Gram Panchayat shall be held simultaneously in the prescribed manner:

Provided that if a person is elected to more than one office or seat of Panch, Pradhan and Up-Pradhan of a Gram Panchayat; and of Chairman or Vice-Chairman of a Panchayat Samiti, he shall vacate all offices or seats but one of his choice by declaring his intention in writing in his hand in the manner prescribed to the prescribed authority.".

Amendment of Section 64.

10. In section 64 of the principal Act, in clause (1) for the sign "." occurring at the end, the sign and word "; or" shall be substituted and thereafter the following new sub-clause (*m*) shall be added, namely:—

"(*m*) has not paid the arrears of any tax imposed by the Gram Panchayat or the Panchayat Samiti or the arrears of Sabha Fund or Samiti Fund.".

Amendment of Section 66.

11. In section 66 of the principal Act,—

(*a*) the words "or co-opted" occurring after the word "primary" but before the word "members" shall be deleted, and for the word "co-opted" occurring after the word "a member" but before the words "to fill", the word "elected" shall be substituted.

(*b*) in the proviso, the words and sign "at a time, but not beyond a total period of two years" shall be deleted.

Deletion of Section 67.

12. The existing section 67 of the principal Act, along with its heading shall be deleted.

Amendment of Section 68.

13. In section 68 of the principal Act,—

(*a*) in the existing heading for the words "Notification of election etc. and oath of allegiance", the words "Oath or affirmation of allegiance" shall be substituted;

(*b*) sub-section (1) shall be deleted;

(*c*) in sub-section (4), the words "co-option or" occurring after the word "whose" but before the words "election has been" shall be deleted; and the words "co-option as a member or for" occurring after the words "el gible for" but before the words "election as the Chairman" shall be deleted; and

(*d*) the existing sub-sections (2), (3) and (4) shall be re-numbered respectively as sub-sections (1), (2) and (3).

Amendment of Section 69

14. In section 69 of the principal Act, in sub-section (1) for the word "co-opted", the word "primary" shall be substituted.

Amendment of Section 70.

15. In section 70 of the principal Act, in sub-section (1) after the words "filled up" but before the words "in the manner", the words "within one year from the date of occurrance of a vacancy" shall be inserted.

Amendment of Section 73.

16. In sub-section (1) of section 73 of the principal Act,—

(*a*) in clause (*b*), for the sign and word ";or", the sign "." shall be substituted; and

(*b*) clause (*c*) shall be deleted.

Substitution of Section 74.

17. For section 74 of the principal Act, along with its heading, the following shall be substituted, namely:—

"74. *Election of Chairman and Vice-Chairman.*—(1) After the declaration of result of election of the primary members of the Panchayat Samiti in the prescribed manner, the Deputy Commissioner concerned, or any Gazetted Officer appointed by him in this behalf, shall as soon as possible but not later than one week of such declaration call under his presidentship a meeting of all the primary members for the purpose of oath or affirmation of allegiance under section 68.

(2) Immediately after oath or affirmation of allegiance under section 68 is administered or made, the primary members of a Panchayat Samiti shall, in the prescribed manner, elect one of its members to be the Chairman and another member to be the Vice-Chairman of the Panchayat Samiti.".

Substitution of Section 75.

18. For section 75 of the principal Act the following shall be substituted, namely:—

"75. Term of office of Chairman and Vice Chairman.—(1) The term of office of the Chairman and of the Vice-Chairman of a Panchayat Samiti elected in a meeting referred to in sub-section (2) of section 74 shall be five years:

Provided that if the term of the office of the Primary members of a Panchayat Samiti is extended by the Government as provided in section 66, the term of the Chairman and of the Vice-Chairman may also be extended by the Government by the same period:

Provided further that if the Government, under section 10, orders general elections to Gram Panchayats before the expiry of their prescribed term, the Chairman, the Vice-Chairman and the primary members shall also cease to hold office:

Provided further that the Chairman or the Vice-Chairman shall cease to be the Chairman or the Vice-Chairman if he ceases to be a primary member of the Panchayat Samiti, or if, by a resolution passed by a majority of the primary members present and voting, the Panchayat Samiti decides at a meeting convened for consideration of no confidence motion in the manner prescribed that he shall vacate office; in such a case the Panchayat Samiti

shall elect a new Chairman or Vice-Chairman, as the case may be, in the same manner as prescribed under section 74, within a period of six months:

Provided further that the quorum for such a meeting shall be two-third of the total number of primary members:

Provided further that such vote of no-confidence shall not be maintainable within two years of the date of his election to such office and any subsequent vote of no-confidence shall not be maintainable within the interval of two years of the last motion of no-confidence:

Provided further that the person so elected either under this section or under section 76 or under section 77 shall hold office for the un-expired term of the person in whose place he is elected as the Chairman or the Vice-Chairman, as the case may be:

Provided further that an outgoing Chairman or Vice-Chairman shall, unless the Government otherwise directs, continue to hold office until the election of his successor is notified.

(2) An outgoing Chairman or the Vice-Chairman shall be re-eligible for election if otherwise qualified".

Substitution of Section 85.

19. For section 85 of the principal Act, along with its heading, the following shall be substituted, namely:—

"85. *Disability to take part in discussion.*—No Chairman, or Vice-Chairman or a member of Panchayat Samiti shall vote on, or take part in, the discussion of any question coming up for consideration at a meeting of Panchayat Samiti, if the question is one in which, apart from its general application to the public, he has any direct or indirect pecuniary interest.".

Amendment of Section 186.

20. In section 186 of the principal Act, for the words "Deputy Commissioner", the words "prescribed authority" shall be substituted, and the words "and his order thereon shall be final" shall be deleted.

Insertion of Section 187-A.

21. After section 187 of the principal Act, the following new section 187-A shall be inserted, namely:—

"187-A. *Appeals.*—Notwithstanding anything contained in this Act, any person aggrieved by an order made by the prescribed authority under CHAPTER—XIII of this Act, may, within the prescribed time and in the prescribed manner, appeal to such higher authority as may be prescribed, and the decision of such higher authority or such appeal shall be final and shall not be called in question in any Court.".

Addition of Schedule-IV.

22. After the existing SCHEDULE—III appended to the principal Act, the following SCHEDULE—IV shall be added, namely:—

"SCHEDULE—IV

(*See* section 63)

DISTRIBUTION OF SEATS OF PRIMARY MEMBERS

Sl No.	Categoriesof Blocks with total number of seats	Reserved seats				Un-Reserved seats
		Scheduled Castes (including women)		For women (other categories)	Total reserved seats	
		Men	Women			
1	2	3	4	5	6	7
1.	10 ..	2	—	2	4	6
2.	11 to 15 ..	2	1	2	5	6 to 10
3.	16 to 20 ..	3	1	3	7	9 to 13
4.	21 to 25 ..	3	2	3	8	13 to 17
5.	26 and above ..	4	2	4	10	16 and above.

Note.—The term "seat(s) denotes single-member constituency/constituencies to be filled by primary members in a Panchayat Samiti by election and is synonymous with the term "ward(s).".

STATEMENT OF OBJECTIVES AND REASONS

The Panchayati Raj Institutions had been in existence in Himachal Pradesh since 1952. Various changes were introduced in these institutions from time to time so as to enable them to achieve the fundamental objectives of such institutions *i.e.* as a unit of self-Government aimed at participative development of the rural areas. Though these institutions have done some noticeable work at certain time and in certain areas, but neither they had been able to acquire the status and dignity of viable and responsive people's bodies nor they have been able to fulfill the basic objective of being democratic and representative institutions and the agent of development in the rural areas due to variety of reasons. The changes brought about from time to time in these institutions were marginal and in the changed circumstances, substantial changes are required to be introduced so that they could function effectively as a unit of self-Government.

In the light of the past experiences and in view of the shortcomings, it has been recognised that there is a need to bring about fundamental changes in the structure, composition and tenure of these institutions so as to impart them certainity, continuity, universality, representative character and strength to them, so that these changes facilitate them to make best use of owers and authority that they are endowed with. Accordingly it is proposed to bring about certain amendments in the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1968 (Act No. 19 of 1970), so as to provide for, among other things, assured existence and constitution of Gram Panchayat and Panchayat Samiti, 25% reservation of seats for scheduled castes and 25% reservation of seats for women for Panches at Gram Panchayat level and asmuch as 20—25% reservation of seats for scheduled castes and also for woman for election to member of Panchayat Samiti, reservation of seats for scheduled tribes along with scheduled castes in non-tribal areas having local tribal population, one member for every two Gram Panchayats in Panchayat Samiti and their direct election, fixing tenure of 5 years for both Gram Panchayats and Panchayat Samitis, holding elections within one year in case of vacancies and supersessions, in case of directly elected members and within six months in case of Chairman and Vice-Chairman of Panchayat Samiti, tenure of Chairman and Vice-Chairman of Panchayat Samiti co-terminus with that of Panchayat Samiti, increasing the quorum for no-confidence motion against Chairman/Vice-Chairman, fixing quorum for adjourned meeting of Gram Sabha, simultaneous elections of Panches including Pradhan/Up-Pradhan and members of Panchayat Samiti, arrears of Gram Sabha and Samiti funds to be a disqualification, a channel of appeal for election petitions.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

SHIMLA:
15th March, 1991.

SADHU RAM,
Minister-in-charge.

FINANCIAL MEMORANDUM

Nil

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clauses 3, 4, 9, 17, 18, 20 and 21 of the Bill seek to empower the State Government to make rules for prescribing the manner of holding the second adjourned meeting of Gram Sabha, of holding elections of seats reserved for scheduled castes and women in Panchayats and of primary members of Panchayat Samiti, vacation of seats or offices in case elected to more than one office or seat, prescribing the number of primary members to be elected in case of a block having less than 20 Gram Sabhas, manner of declaration of result of election of primary member, Chairman and Vice-Chairman, manner of holding meeting for no-confidence motion against Chairman and Vice-Chairman and prescribing authority and manner for hearing appeals against election petitions. The proposed delegation of powers is essential and normal in character.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित